INDIA TEN RUPEES INDIA FIVE RUPEES

69

न्यायालय:- श्रीमान म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्र0क्र0 /2001-2002 निगरानी

R-1435-III/2002

21 JUN 2002
21/6/02

रामवीरसिंह पुत्र अंगदराम धाकड़ निवासी ग्राम विरावली तहसील कैलारस जिला मुरैना

------ आवेदक

बनाम

भोगीराम पुत्र मानसिंह धाकड़ ग्राम विरावली तहसील कैलारस जिला मुरैना

---- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय दिनांक 22/5/2002 न्यायालयश्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक - 146/2000-2001 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता।

= =

श्रीमानजी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है:-

1- यह कि, ग्राम विरावली तहसील कैलारस के पूर्व पटेल मानेराम की मृत्यु हो जाने के बाद नवीन पटेल की नियुक्ति हेतु सूचना तहसीलदार कैलारस से एस.डी.ओ. सबलगढ़ को प्राप्त होने पर प्रकरण कायम किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये एस.डी.ओ. सबलगढ़ द्वारा अपने यहाँ के प्रकरण क्रमांक 4/2000-2001 अ-55 में पारित आदेश दिनांक - 19/3/2001 से भोगीराम को पटेली पद हेतु नियुक्त किया गया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर महोदय, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 105/2000-2001 अपील पर प्रस्तुत की गई आवेदक की आदेश दिनांक 20/7/2001 से स्वीकार की जाकर एस

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण क्रमांक 1435–तीन/2002 निगरानी जिला मुरेना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता0
3-11-2016	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण नम्बर 2146/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–5–2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी में बताये गये आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम विरावली के पटैल सोनेराम की मृत्यु हुई। गॉव में पटैल का पद रिक्त होने पर आवेदन आमंत्रित किये गये तथा प्राप्त आवेदन की छानवीन उपरांत अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने प्रकरण नंबर 4/2000–2001 अ–55 में पारित आदेश दिनॉक 12–3–2001 से अनावेदक को पटैल पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अति0 कलेक्टर मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति0 कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण नंबर 105/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–7–2001 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई करने एंव गुणदोषों पर निराकृत करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अति0कमिश्नर ने प्रकरण नम्बर 146/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–5–2002 से अति0 कलेक्टर मुरैना का आदेश दिनांक 20–7–2001 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।	

4/ अति0 आयुक्त के आदेश दिनॉक 22-5-2002 के पैरा 5 में की गई विवेचना के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अंकित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी व्दारा जारी उदघोषणा दिनांक 1-1-2001 में स्पष्ट लिखा है कि कि ग्राम में उदघोषणा चस्पा होने के 45 दिवस के अन्दर प्रस्तुत आवेदनों पर ही सुनवाई की जावेगी। प्रकरण में संलग्न उदघोषणा के अवलोकन से पाया जाता है कि उदघोषणा दिनांक 10-1-2001 को चस्पा की गई। अत: 45 दिवस की गणना 10-4-2001 से की जावेगी। अनावेदक रामवीर ने अपना आवेदन 1-1-2001 को अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार ग्राम में उदघोषणा प्रचलित होने के दिनांक से पूर्व ही अनावेदक व्दारा आवेदन प्रस्तुत किया गया और इन्हीं कारणों से वह अति0 कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 20-7-2001 में निकाले गये निष्कर्ष से सहमत नहीं हुये है। अति0 कलेक्टर के आदेश दिनांक 20-7-01 में इसी सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला गया है कि रिक्त पटैल पद हेतु उदघोषणा 1-1-2001 को जारी की गई जो कि ग्राम बिरावली में दिनांक 10-1-2001 को चस्पा की गई है। अपीलांट व्दारा उदघोषणा जारी दिनांक 1-1-2001 को ही पटैल पद हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

अति0कमिश्नर एंव अति0 कलेक्टर के उक्तानुसार निकाले गये निष्कर्षो के अवकलोकन पर स्थिति यह है कि जब अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 1-1-2001 को उदघोषणा जारी कर दी अर्थात पटैल पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर लिये , भले की 1-1-2001 को जारी उदघोषणा ग्राम में 10-1-2001 को चस्पा की गई हो, किन्तु उसका प्रभावशाली होना 1-1-2001 से ही माना जावेगा और 1-1-2001 को उदघोषणा जारी होने पर आवेदक व्दारा पटैल पद की उम्मीदवारी हेतु प्रस्तुत आवेदन को विचार में लिया जावेगा। इस सम्बन्ध में अति0 कलेक्टर भुरैना व्दारा लिया गया निर्णय सार्थक है जिसके कारण अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग, भुरैना के प्रकरण नम्बर 2146/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-5-2002 में निकाला गया निष्कर्ष दूषित है और ऐसे दूषित निष्कर्ष पर आधारित आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता, जबकि अपर कलेक्टर व्दारा

XXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.............

प्रकरण कमांक 1435–तीन/2002 निगरानी

जिला मुरेना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषक आदि के हस्ता0
	आवेदक के आवेदन को विचार में लेने एंव पक्षकारों को पुन: सुनवाई का अवसर देकर पुर्ननिर्णय लेने हेतु प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 20–7–2001 पारित किया है जो सही है।	
	5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण नम्बर 2146/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–5–2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलत: अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्र0क0 105/2000–01 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 20–7–2001 उचित होने से यथावत् रखते हुये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर प्रकरण पुर्ननिराकरण करें।	
	सदस्य	